न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजु मीणा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 74/2019

1. रामकन्या पुत्री स्व. श्री गोपाल
2. सुनील पुत्र स्व. श्री गोपाल
3. चन्दा पुत्री स्व. श्री गोपाल
4. अनिल पुत्र स्व. श्री गोपाल सगरत जाति नाई निवासी एकलसिंहा तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल निवासी सुभाषनगर बिजयनगर जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित पक्षकारः– श्री महावीर गुर्जर (अधिवक्ता प्रार्थी)
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.09.2020

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि मौजा एकलसिंहा पटवार क्षेत्र एकलसिंहा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंहा तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. नया 154 पुराना 164 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1371 रकबा 0.18, 1372 रकबा 0.09, 1373 रकबा 0.05, 1374 रकबा 0.04, 1375 रकबा 0.04, 1376 रकबा 0.18, 2253 रकबा 0.04, 3788/5071 रकबा 0.10 किता 8 रकबा 0.72 हैं0 भूमि प्रार्थीयागण की पुश्तैनी आराजीयात है। जो वर्तमान में प्रार्थीयागण के पिता श्री गोपाल पुत्र पन्ना जाति नाई की विरासत से उनको प्राप्त हुई है। वर्किंग जमाबंदी में उक्त भूमि प्रार्थीयागण के पिता गोपाल पुत्र पन्ना के नाम दर्ज थी जो वर्तमान में सहवनवश गोपाल के स्थान पर गोकल अंकित हो गया हैं, जो गलत हैं। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थीयागण के पिता का नाम सही दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज कर तहसीलदार भिनाय को तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर प्रार्थीयागण द्वारा वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थीया अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात यथा जवाब पैरोकार सरकार, भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का एकलसिंहा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा, आधार कार्ड, नगरपालिका बिजयनगर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत एकलसिंहा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वर्किंग जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल, आदि का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा एकलसिंहा की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता सं. नया 154 पुराना 164 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1371 रकबा 0.18, 1372 रकबा 0.09, 1373

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.10.14 11:41:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 0.05, 1374 रकबा 0.04, 1375 रकबा 0.04, 1376 रकबा 0.18, 2253 रकबा 0.04, 3788/5071 रकबा 0.10 किता 8 रकबा 0.72 हैं0 भूमि में सहखातेदारी में दर्ज खातेदार गोकल पुत्र पन्ना जाति नाई के स्थान पर गोपाल पुत्र पन्ना जाति नाई दुरूस्त किए जाने आदेश पारित किए जाते है एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.09.2020 को सुनाया गया।

(संजु मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.10.14 11:41:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner